ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-9* December-2021
Anthology : The Research

स्थानीय स्व-शासन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
Historical Perspectives of Local Self-Government

Paper Submission: 10/12/2021, Date of Acceptance: 21/12/2021, Date of Publication: 24/12/2021

गायत्री
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत एक ऐसा देश है जहाँ राजतन्त्र में भी स्थानीय तंत्र लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से समृद्ध था। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का स्थनीय स्वशासन आम जन शासन था।भारतीय सभ्यता का आधार स्तम्भ वेद है। इसलिए हम इस काल का प्रारम्भ वैदिक काल से करते हैं। वैदिक काल में सभा एवं समिति नगरीय सरकार का पर्यायवाची शब्द माने जाते थे। स्थानीय निकाय वैदिक काल में प्रतिष्ठा एवं विकास के चरम शिखर पर था। इसके पश्चात् महाकाव्य काल में जनपदो (नगर-राज्य) का अस्तित्व था। सभा एवं समिति इस काल में भी कार्यरत थी। महाभारत काल में ये स्थानीय संस्थाये पौर एवं श्रेणी नाम से संचालित थी। शहरी सरकारें अपनी आन्तरिक व्यवस्था के लिए पूर्ण स्वतन्त्र थे। मौर्य काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में स्थानीय प्रशासन के बारे में बताया है। कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को पुर बताते हुए "स्थानिक" नामक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताते हैं। मौर्य काल में शहरी सरकारों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'पाटलीपुत्र' था। इसके पश्चात् गुप्तकाल में ग्राम स्तर पर 'ग्रामपति' तथा जनपद स्तर पर "विश्वपति" नामक पदाधिकारी स्थानीय प्रशासन को नियन्त्रित करने लगे। चोल शासन में गाँवों "नाडु परिषदे" कार्यरत थी। राजपूत शासन काल में विभिन्न वर्षो ने शासन किया। इस काल में राजनीतिक अस्थिरता कायम थी। सामन्तों के शोषण ने इन संस्थाओं को निष्क्रिय कर दिया।

India is a country where even in a monarchy, the local system was rich in terms of democratic decentralization. Historically, the local self-government of India was the common people's government. The pillar of Indian civilization is the Vedas. That is why we start this period from the Vedic period. In the Vedic period, Sabha and Samiti were considered synonyms of urban government. The local body was at the peak of prestige and development in the Vedic period. After this, Janapadas (city-states) existed in the epic period.The Sabha and the Samiti were functioning during this period as well. In the Mahabharata period, these local institutions were run under the name of Paur and Range. Urban governments were completely free to make their own internal arrangements. Kautilya has told about local administration in the Arthashastra in the Maurya period. Describing the urban institutions as Pur, Kautilya tells about the appointment of an officer named "Sthika". The best example of urban governments during the Maurya period was 'Pataliputra'.After this, during the Gupta period, officials named 'Grampati' at the village level and "Vishvapati" at the district level started controlling the local administration. During the Chola rule "Nadu Parishads" were functioning in the villages. Various dynasties ruled during the Rajput rule. Political instability prevailed during this period. The exploitation of the feudal lords made these institutions inactive.

मुख्य शब्दः स्थानीय स्व-शासन, वैदिक काल, स्थानीय संस्थाये, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

Key words: Local self-government, Vedic period, local institutions, Kautilya's Arthashastra, democratic decentralisation.

प्रस्तावना

"नि येन मुष्टिहत्यया निवृत्ता रूण धाम है।
त्वो तासोन्यवंता।"[1]
द्विषो नो विश्व तो मुखानि नावेन पारय
अप न शोशुचादध्य॥"[2]

भारतीय समाज एवं संस्कृति के तीन आधार स्तम्भ है - स्थानीय व्यवस्था, वर्णव्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था। स्थानीय व्यवस्था पंचायतों द्वारा संगठित पंचमुखी परमेश्वर की भावना पर अवलम्बित है, जिसमें वर्णाश्रम धर्मानुसार सभी व्यक्ति कार्यरत रहते हुए सर्वांगीण विकास के लिए स्वावलम्बी है।[3]

"विराड वा इदमग्र आसीत
तस्या जाताया सर्वम विभेद।
इयमेवेद भविष्यतीति॥
सा उदक्रामत् सा संभायान्त क्रामत्
सा उदक्रामत् सा सतितौम्य क्रामत्
सा उदक्रामत् सा आणन्त्रणेन्य क्रामत्"[4]

स्थानीय शहरी सरकारें जन शक्ति को शहर से लोक सभा तक एक समान गति से प्रगति-पथ पर अग्रसर कर उसे नवनिर्माण के काम में लगाने का माध्यम है। वैदिक काल में सभा, समिति, आमन्त्रण आदि नगर राज्य सरकारों का पर्यायवाची शब्द है। उस समय पंचायत का संगठन गाँव से प्रारम्भ होकर राष्ट्र स्तर तक ही परिव्याप्त नहीं रहा, प्रत्युत सम्पूर्ण पृथ्वी पर्यन्त लोक राज्य के गठन की ओर उन्मुख रहा।

"साम्राज्य भ्रौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं
पारमेष्ठ्य राज्य महाराज्य माधिपत्यमय।
समन्त पायायोस्यात सार्वभौमः सार्वायुष आन्ता दापरार्घात्
पृथिव्यं समुद्र पर्यन्तायां एकराट् इति॥"[5]

नगरीय सरकारें जनता की सौद्देश्यपूर्ण सहभागिता एवं सहयोग हेतु अधिक शक्ति एवं पुष्टि प्रदान करने का शाश्वत स्रोत है, जिससे जनता में उत्तरदायित्व एवं स्वावलम्बन की भावना जाग्रत होती है। वैदिक काल में लोगों का जीवन सामाजिक एवं सामुदायिक था। उस समय में भी लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण था। नगरों के सभी सदस्य मन, वचन और कर्म से एकता के सूत्र में आबद्ध थे। वे सभी पारस्परिक विचार विमर्श से कार्य करते थे। वे सभी पारस्परिक विचार विमर्श से कार्य करते थे। शहरी स्वायतशासी सरकारों की पद्धति वैदिक काल से ही निरन्तर संचालित रही है। फलस्वरूप भारतीय संस्कृति सदा अक्षुण्ण रही। भारत पर एक के बाद दूसरे विदेशी विजेता शक, हूण, यूनानी, अफगानी, मंगोल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज आते रहे तथा अपना-अपना अधिकार जमाते रहे। किन्तु शहरी सरकारों की पद्धति प्रभावित नहीं हुई। समस्त भारत का प्रशासन इन्द्रप्रस्थ था नई दिल्ली से नहीं चलाया जाता बल्कि राजा तथा केन्द्रीय सरकारों के अलावा स्थानीय शासन संस्थाऐ भी प्रशासनिक कार्य में सक्रिय रही।

भारत में स्वायत्तशायी सरकारों को दो प्रमुख श्रेणियों में बाँटा जाता है।

(अ) ग्रामीण स्वायत्त शासन जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् आदि सक्रिय है।

(ब) शहरी स्वायत्त शासन संस्थाएं में नगर पालिका, नगर निगम, नोहिला, इंडस्ट्री कमेटी कैटोनमेंट बोर्ड। चुकि यह संस्थाऐं स्वतन्त्रता के पूर्व से ही कार्यशील रही है।

भारत के प्राचीन ग्रंथो में पंचायत अथवा पंचायती शब्द को परिभाषित किया है। पंचायत शब्द संस्कृत भाषा के 'पंचायतन' शब्द से उद्भूत हुआ है। अतः पाँच पुरुषो के समूह अथवा वर्ग को पंचायतन के नाम से जाना जाता है। लेकिन धीरे-धीरे इस शब्द का अर्थ पांच निर्वाचित सदस्यों से होने लगा जो स्थानीय स्तर के विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के अनुसार पंचायत का अभिप्राय, "पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ ग्राम निवासियों द्वारा चयनित पांच जनप्रतिनिधियों की सभा से है।"[6] पंचायती राजव्यवस्था का उद्भव एवं विकास धीरे-धीरे हुआ जब कभी पांच व्यक्तियों की सभा को एक प्राचीन संस्था माना जाता था। जिसका अस्तित्व अनेक राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तन के पश्चात् ही वर्तमान तक पहुँचा है।[7] इस प्रकार भारत में शहरी सरकारों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की विभिन्न कालों में विभाजित करके ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

वैदिक काल

वेद भारतीय सभ्यता का आधार स्तम्भ है। वैदिक काल में नागरिकों का जीवन व्यक्तिगत नहीं था। बल्कि सामूहिक जीवन शैली से अभिभूत था। सभा एवं समिति में सभी नागरिकों को सम्मिलित होने का एक समान अधिकार था नीति निर्माण कार्यान्वयन सभी में नागरिकों की सहभागिता थी सत्ता का विकेन्द्रीकरण व्याप्त था। वैदिक काल में जनशक्ति (संघ शक्ति छोटी एवं बिखरी हुई थी) जन शक्ति उत्क्रान्त होकर समितियों में परिवर्तित हो गयी।

सा उद्क्रामत सा समितोंन्यकात'[8]

वैदिक काल में समिति व्यवस्था का कार्यक्षेत्र विस्तृत था ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा समितियों को संगठित किया जाता था। समितियाँ निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करती थी समिति व्यवस्था में ही आमन्त्रण समिति का आवश्यकतानुसार गठित किया जाता था।

सा उद्क्रामत सा आमन्त्रणेन्यकामत[8]

वैदिक काल में सभा एवं समिति नगरीय सरकार के पर्यायवाची शब्द थे। समस्त प्रजा को सामूहिक रूप से समिति कहा गया। गाँव की प्रमुख संचालक संस्था को सभा कहा गया है।[9] अध्यक्ष का चुनाव भी समिति व्यवस्था के द्वारा ही किया जाता था। जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता था। राजा नामक संस्था का जन्म नहीं हो पाया था। यह तथ्य भी मिलता है कि वैदिक काल में ये संस्थाएँ स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करनी थी।

ये ग्रामा यहरण्य या सभा अभिभूभ्याम
ये संग्राम समितिथस्तेषु चारूवेदयते,[10]

वैदिक काल में सभाएं और समितियाँ प्रभावशाली तरिके से कार्यशील थी। जो कि शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर कार्य कुशलतापूर्वक अस्तित्व में थी समिति समाज की संस्था थी राजा का चुनाव, पदच्युति, पुनर्वरण राजा की नीतिगत स्थिरता प्रदान करना समिति के कार्य थे। सामाजिक और सामुदायिक विषयों का विवेचन करती थी। वाद-विवाद को निपटाती थी।

डॉ. जायसवाल की मान्यता है कि वेदों में प्राचीनतम आर्य जाति के राष्ट्रीय जीवन और गतिविधियों की अभिव्यक्ति जन संस्थाओं के द्वारा होती थी। समिति, संम इति का अर्थ है एकत्र होना, समिति तमाम जनता की राष्ट्रीय सभा थी।[11] वैदिक काल में सभा - सभा का अर्थ है चमकना अर्थात् जिसके सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या ब्राह्मण और माघवन होते थे। वैदिक साहित्य में सभा का अर्थ स्थल या भवन, धूत

शादी दरबार का बोद्य कराते हैं सभा का उद्भव ऋग्वेद के अन्तिम काल खण्ड में हुआ यह समिति के साथ-साथ चला।इस काल में नगरीय स्थानीय संस्थाये प्रशासन, न्याय एवं विकास तीनों प्रकार के कार्य किया करती थी। सभा और समिति नगरीय सरकार के पर्यायवाची शब्द थे। समाध्यक्ष सभा एवं समिति के निर्णय के अनुसार सभी लोगों की भलाई के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते थे। शहरी सरकारों में न्यायपालिका का भी संगठन था।

शाश्वत वन्द्रः प्रो प्रुथदूभि जिगायनानद्यूमिः
शाश्वससद्भि धनानि।
सनोहिरणयरथद सनावान्त्सनः सनिता सनये से नोडदाल[12]

शहरी स्थानीय निकायों के प्रधान या अध्यक्ष की स्थिति नगर वासियों के बीच पितातुलय थी। अध्यक्ष में नागरिकों की अटूट श्रद्धा थी। स्थानीय निकायों में नागरिकों के विकास की अनेक गतिविधियां संचालित होती थी। स्थानीय निकाय वैदिक काल में प्रतिष्ठा एवं विकास के चरम शिखर पर थे। व्यक्ति के आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विकास के लिए समस्त मार्ग खुले हुये थे।

महाकाव्य काल

1. रामायण काल
2. महाभारत काल

रामायण काल

महाकाव्य काल में भी सभा एवं समिति की अवधारणा अस्तित्व में रही।[13] रामायण काल में जनपदों (नगर राज्यों) का अस्तित्व था। जनपदों को छोटे-छोटे कस्बों का अस्तित्व के संघ के रूप में जाना जाता था।[14] वाल्मीकि रामायण में भी जनपदों का वर्णन है। रामायण काल में भी अवध जैसी शहरी सरकारों कार्यरत थी। जिसमें रामराज्य जैसे परिकल्पना व्यवहार में कार्यरत थी।

महाभारत काल

महाभारत कालीन स्थानीय संस्थाओं के बारे में निम्न प्रकार उल्लेख हैं-

तत्र पुण्याजनपदाश्चत्वकारो लोक सभ्यताः।
मंगाश्च मशकश्चैव मानसा मन्दगास्त था
मंगा, ब्राह्मण भूमिष्ठा, स्वधर्म निरतानस[15]

जैसी व्यवस्था रामायण काल में भी उसी के समतुल्य व्यवस्था महाभारत काल में नगरीय सरकारों की थी। महाभारत काल में स्थानीय शासन पौर श्रेणी आदि संस्थाओं के द्वारा संचालित था पौर को प्रधान व प्रमुख पौर वृद्ध कहलाते थे। जो केन्द्रीय सभा में भी पौर वृद्ध केन्द्रीय सरकार के शासन कार्य में निर्णय करने की प्रक्रिया में भाग लेते थे। श्रेणी को राज्य की ओर से सेना व बल रखने का अधिकार प्राप्त था। धर्म के अनुसार श्रेणी का संचालन किया जाता था। शहरी सरकारे अपनी आन्तरिक व्यवस्था के लिए पूर्ण स्वतन्त्र थी ये संस्थाऐ अपनी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर अस्मित नहीं थी।महाभारत काल में प्रमुख रूप से चार प्रकार के राज्य थे। 1. संघ राज्य 2. गणराज्य 3. पामेष्ठय राज्य 4. वैराजय आदि।

मौर्यकाल

मौर्यकाल शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का विकसित रूप था। इस काल में भारत में प्रथम बार केन्द्रीय राजनीतिक एकता (संघात्मक) शासन की शुरूवात हुई। कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र में शासन की उपव्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह प्रमाणित होता है कि राज्य स्थानीय जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करता था। मौर्य काल में शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रान्तों को निम्नांकित प्रकार से विभाजित किया हुआ था।

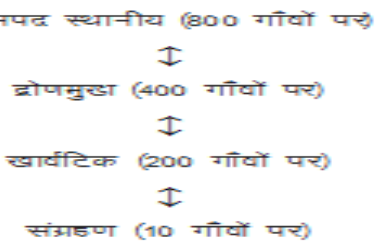

विकेन्द्रीकरण की यह संरचना गुप्तकाल में भी अपनायी गई। कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को पुर बताते हुए “स्थानिक” नामक अधिकार की नियुक्ति बतायी है तो ग्रामीण क्षेत्र में गोप (सरपंच) के समन्वयन में पचायती राज का स्वरूप निर्धारित किया था।चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने कार्यकाल में नगरीय सरकारों में सदैव अहस्तक्षेप व निष्पक्षता की नीति का अनुसरण किया था। मौर्यकाल में पाटलीपुत्र शहरी सरकारों का सर्वोत्तम वर्णन भी उल्लेखनीय है। पाटलीपुत्र की शासन व्यवस्था को पाँच-पाँच सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त करके सम्पादित किया जाता था। प्रथम समिति औद्योगिक मामलों, दूसरी समिति विदेशी मामलात सम्बन्धी कार्य देखती थी। तीसरी समिति का जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण का कार्य देखना था। चौथी समिति द्वारा व्यापार व वाणिज्य के कार्यों का निरीक्षण व परीक्षण करना था। पांचवीं समिति उत्पादन कार्यों की देखभाल करती थी। छठी समिति बिक्री हेतु वस्तुओ के मूल्यों का निर्धारण करने का कार्य करती थी।[17] इस प्रकार मौर्यकाल में शहरी सरकारो का श्रेष्ठतम एवं सर्वोत्तम उदाहरण पाटलीपुत्र शहर की नगर व्यवस्था में परिलक्षित होती है।

गुप्तकाल

गुप्तकालीन लेखों के अनुसार ग्राम स्तर पर 'ग्रामपति' तथा जनपद स्तर पर 'विश्वपति' नामक पदाधिकारी स्थानीय स्वशासन को नियंत्रित करने लगे। कालान्तर में भारत में बड़े साम्राज्य स्थापित होने लगे थे अतः केन्द्रीय शासन के अधीन प्रान्त अर्थात् भुक्ति (मुक्ति), उनके अधीन विषय तथा निचले स्तर पर ग्राम होते थे। ग्राम स्तर पर 'ग्रामिक', 'महत्तर' तथा 'योजक' नामक पदाधिकारी कार्य करते थे। दक्षिण भारत में चोल शासन के दौरान गाँवों में "नाडु परिषदे" कार्यरत थे। राजपूतकाल के दौरान विभिन्न वंशो, यथा - चौहान, सोलंकी, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, गहड़वाल, पाल, चन्देल, कलचुरी तथा राष्ट्रकुल ने शासन किया। इस समय राजनीतिक अस्थिरता कायम थी अतः स्थानीय संस्थाये दम तोड़ने लगी तथा जातिगत बन्धन अधिक प्रभावी होने लगे। सामंतो के शोषण ने स्थानीय संस्थाओं को निष्क्रिय कर दिया।[8]

साहित्यावलोकन

वैदिक साहित्य में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख अथर्व वेद में बखूबी होता हैं। मनुस्मृति में भारतीय ग्रामीण राज व्यवस्था का विषद विवरण हैं। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में भारत की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया हैं। शुक्राचार्य द्वारा रचित शुक्रनीति सार में राज्य का कार्य क्षेत्र एवं प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था होने का संकेत देता हैं। पंडित देवीदत्त शुक्ल की पुस्तक प्राचीन भारत में जनतंत्र वाद में उल्लेखित किया किया गया है कि प्राचीन भारत में जनतंत्रात्मक व्यवस्था रही थी।डॉ. आर. पी. जोशी एवं डॉ. रूपा मंगलानी पुस्तक भारत में पंचायती राज (2000) में स्थानीय स्वशासन के पूर्ण इतिहास का उल्लेख किया गया हैं। विचारक श्री पुरुषोत्तम कुमार ने राष्ट्रीय समग्रह विकास संध (2021) में प्राचीन भारत में नगरीय प्रशासन के विद्यमान होने के बारे में बताया तथा स्पष्ठ किया कि नगरीय शासन की 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभाजित किया हुआ था। इससे यह विदित होता है कि प्राचीन भारत में आज की भांति ही स्थानीय शासन की नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ था।

अध्ययन का उद्देश्य

1. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की नगरीय (शहरी) सरकारों के ऐतिहासिक स्वरूप को जानना।
2. प्रजातन्त्र की शहरी निकायों का वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक उनकी स्थिति संगठन, संरचना एवं प्रकार्यों का अध्ययन करना।
3. प्राचीन इतिहास में स्थानीय संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारियों के पदनाम, कार्यों एवं स्थिति का अध्ययन करना।

निष्कर्षत

यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में शहरी सरकारे, प्रारम्भिक काल में सुदृढ़, व्यवस्थित, संगठित थी। वैदिक काल में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को महत्व दिया गया था। यह परम्परा गुप्तकाल तक रही। इसके पश्चात् राजनीतिक अस्थिरता के कारण धीरे-धीरे ये संस्थाये जातिगत बन्धनों में जकड़ी गयी। मध्यकाल की शुरूवात पर मुगलों ने इसे पुनः सुसंगठित किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *ऋग्वेदः दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली 18/2*
2. *ऋग्वेदः दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली 1/97/7*
3. *सिह राजेन्द्रः बिहार में पंचायतीराज नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 16*
4. *आर्यवेदः दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली 18/10/1/8-12*
5. *पंचपरमेश्वरः पृष्ठ से 44*
6. *Gandhi M.K. "Village Swaraj" Nav Jeevan Publishing house Ahmedabad 1962 page 97*
7. *Majumdar B.B. "Problem of Public Administration" Patana 1951 page 205*
8. *अथर्ववेदः दयानन्द संस्थान, अजमेर 8/10/172 पृ.सं. - 179*
9. *कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं अतीत वर्तमान और भविष्य पृष्ठ संख्या 2, 2010*
10. *अथर्थवेद - दयानन्द संस्थान अजमेर 91-41 पृ. सं. - 368*
11. *जायसवाल के. पी. हिन्दू पालिटी पृ. 12-14*
12. *ऋग्वेदः दयानन्द संस्थान, अजमेर 1-30-16 पृ. सं. 42*
13. *कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं अतीत, वर्तमान और भविष्य, पृष्ठ संख्या 3, 2010*
14. *The Panchayati"~ The Publication Division Government of India, 1956 page 04*
15. *महाभारतः भीष्म पर्व, अ. 11 श्लोक 35 से 39*
16. *श्यामलाल पाण्डेय - "रामायण और महाभारत कालीन जनतंत्रवाद" अवध पब्लिकेशिंग हाऊस, लखनऊ, पृ. 212 व 305*
17. *इलीफेन्सटीन्स "हिस्ट्री ऑफ इण्डिया" लन्दन जॉन मेरी - 1905 पृ. सं. 68*
18. *कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएँ अतीत वर्तमान और भविष्य, पृ. सं. 4, 2010*